न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021/443
मुकदमा नम्बर 209/2019 दायर दिनांक : 01–11–2019

भागसिंह पुत्र जीताराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
– वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जागिड़
वकील प्रति. :– राज–पैरोकार

दावा : बाबत इस्तकरारहक, रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम व
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक :– 06–08–2021

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि पूनियां की ढाणी की सरहद में खाता सख्या नया 105 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 12, 13, 94 रकबा क्रमशः 0.06, 4.54, 0.88 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 5.48 हैक्टर स्थित है, जिसे आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त की भूमि की खातेदारी वर्तमान मे वादी उसके सह–खातेदार अनिल कुमार पुत्र जुगलकिशोर, कुरड़ाराम पुत्र राजूराम, चन्द्रावली पुत्री राजूराम, जयसुख पुत्र रामप्रसाद, झण्डूराम पुत्र सुलतान, पतासी देवी पत्नी राजूराम, बेगाराम पुत्र जीताराम, भगवती देवी पत्नी रामप्रासाद, मुकटबिहारी पुत्र सुलतान मनकोरी पत्नी जुगलकिशोर, मनमोहन, मनीराम पुत्र सुलतान, मनोज कुमार पुत्र रामदेवाराम, महेश कुमार पुत्र राजूराम, महेश कुमार पुत्र राजूराम, रूकमा देवी पत्नी सुलतान, रमेश कुमार पुत्र राजूराम, संजय कुमार पुत्र रामदेवाराम, सुधीर कुमार पुत्र रामप्रसाद, सुनील कुमार पुत्र रामप्रसाद, समोज कुमारी पुत्री रामदेवाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा चली आ रही है। उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी सम्बन्धित कोई विवाद नही है, केवल वादी का नाम भागसिंह के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में बेगाराम गलत रूप से [illegible] है। नकल जमाबंदी व अन्य दस्तावेजात् दावे के साथ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:35:32 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वर्णित भूमि वादी की खातेदा[illegible] वादी अपने हिस्से 1/5 पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है और आबाद है, पर[illegible] पिता जीताराम का स[illegible] होने पर उसके वारीसान के नाम नामान्तकरण संख्या 259 जमाबंदी सम्वत् 2[illegible] से 2031 से भरा गया [illegible] वादी का नाम भागसिंह के स्थान पर गलत रूप से बेगाराम दर्ज कर दिया, क्योंकि नामान्तकरण कार्यवाही सन् 1974 में की गई उक्त वक्त वादी भारीतय सैना में सेवारत था, पीछे से परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही की गई थी ओर उसमें वादी का नाम गलत रूप से बेगाराम दर्ज हो गया, जो लगातार बदस्तुर राजस्व

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

रिकार्ड मे गलत चलता आ रहा है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम भागसिंह पुत्र जीताराम है। वादी का नाम लोक दस्तावेज यथा पैनकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र, आधार कार्ड, सैनिक डायरी, बैंक पासबुक उपरोक्त समस्त दस्तावेज मे भाग सिंह दर्ज चला आ रहा है, जो सही व वास्तविक नाम है। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्वर्गीय जीताराम के फौत होन पर उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 259 भरा गया जिसमें वादी का नाम भाग सिह के स्थान पर गलत रूप से बेंगाराम दर्ज कर दिया जो लगातार बदस्तुर गलत चलता रहा। परन्तु अब वादी ने पटवारी हल्का से दिनांक 03.10.2019 के जमाबंदी की नकल प्राप्त की और वादी ऋण लेने हेतु बैंग गया तब बैंक वालो ने बताया कि आपके अन्य दस्तावेज मे आपका भाग सिंह नाम दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड मे आपका नाम बेगाराम दर्ज है। तब वादी को इस गलत राजस्व रिकार्ड के बारे में पता चला। इसलिए उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 105 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 12, 13, 94 रकबा क्रमशः 0.06, 4.54, 0.88 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 5.48 हैक्टर वाके ग्राम पूनियां की ढाणी में वादी का नाम बेगाराम के स्थान पर भागसिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

बिनाय दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी जब वादी ऋण लेने हेतु बैंक गया तब बैंक वालों ने बताया कि आपका नाम अन्य दस्तावेज में भागसिंह दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 03.10.2019 को प्राप्त करने के रोज बमुकाम पूनियां की ढाणी में पैदा हुआ अदालत बाला को हक समायत हासिल है।

वादी द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि ग्राम पूनियां की ढाणी की सरहद में खाता सख्या नया 105 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 12, 13, 94 रकबा क्रमशः 0.06, 4.54, 0.88 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 5.48 हैक्टर में वादी का नाम गलत रूप से दर्ज बेगाराम के स्थान पर भाग सिंह दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलम दरामद करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावे। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो और वादी के हक में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राज पैरोकार उपस्थित आये। राज पैरोकार आदेशिका में राजहित की हद तक वादी के हक अधिकार तय किये जाते है तो कोई आपति नही कि सहमति प्रस्तुत की।

तद्पश्चात तहसीलदार नवलगढ से वादी भागसिह पुत्र जीताराम एवं बेगाराम पुत्र जीताराम दोनो नामों के संबंध में रिपोर्ट चाही गयी तहसीलदार नवलगढ द्वारा मौका जांच कर रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम पूनिया की ढाणी मे भागसिह पुत्र जीताराम द्वारा खसरा नम्बर 12, 13, 94 में बेगाराम पुत्र जीताराम दर्ज होने की जांच करने पर खसरा नम्बर 12, 13, 94 किता 03 रकबा 5.48 हैक्टर में बेगाराम पुत्र जीताराम हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है व मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि भागसिह ही जीताराम का पुत्र है जिनका खातेदारी भूमि में बेगाराम पिता जीताराम गलती से दर्ज हो गया व भागसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पासबुक, व भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि में भागसिंह पुत्र जीताराम ही नाम दर्ज है। व उपस्थित द्वारा भागसिह ही सही नाम होना बताया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के संबंध में निम्न दस्तावेजात पेश किये यथा नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबंदी सम्वत तस्दी[illegible]35, नकल नामान्तकरण संख्या 259, नकल जमाबंदी संवत् 2028 से 2031, नकल जम[illegible] कार्ड, परिचय पत्र, भूतपूर्व सैनिक आई कार्ड, आधार कार्ड, सैनिक डायरी, बैंक पासबुक [illegible] पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:35:32 IST
Reason: SelfAttested

जवाब में प्रतिवादी राज पैरोकार द्वारा वाद पत्र के तथ्यों [illegible] स्वीकार करने पर प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु तैयार किया जाने की आवश्यकता नही रह जाती है। जवाब देही प्रस्तुत होने प्रकरण केवल रिकार्ड दुरूस्ती नाम संशोधन का होने पर शहादत आदि पेश नही की गई। बहस वकील वादी सुनी गयी। बहस का मनन किया

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी सम्बन्धित कोई विवाद नही है, केवल वादी का नाम भागसिंह के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में बेगाराम गलत रूप से दर्ज हो गया, इसी का विवाद है। वर्णित भूमि वादी की खातेदारी काश्त की भूमि रही है, जिस पर वादी अपने हिस्से 1/5 पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है और आबाद है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी पिता जीताराम का स्वर्गवास होने पर उसके वारीसान के नाम नामान्तकरण संख्या 259 जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031 से भरा गया जिसमें वादी का नाम भागसिंह के स्थान पर गलत रूप से बेगाराम दर्ज हो गया। वादी का नाम लोक दस्तावेज पैनकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र, आधार कार्ड, सैनिक डायरी, बैंक पासबुक उपरोक्त समस्त दस्तावेज मे भाग सिंह दर्ज है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा भी नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। उक्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट यह साबित होता है कि बेगाराम एंव भागसिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है जो वादी है तथा वादी का सही व वास्तविक नाम भागसिंह पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी सौंथली साबित होता है। वादी को राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकार है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम पूनियां की ढाणी की सरहद में खाता सख्या नया 105 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 12, 13, 94 रकबा क्रमशः 0.06, 4.54, 0.88 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 5.48 हैक्टर में बेगाराम पुत्र जीताराम के स्थान पर भागसिह पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी पूनियां की ढाणी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:35:32 IST
Reason: SelfAttested

औ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

दमयंती कंवर (आर०ए०एस०) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ.

दावा बाबत इस्तकरारहक, रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम व
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2021 / 443 (भागसिंह पुत्र जीताराम बनाम तहसीलदार)
मुकदमा नम्बर : 209 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर०ए०एस०),ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06.08.2021 निर्णयानुसार ग्राम पूनियां की ढाणी की सरहद में खाता सख्या नया 105 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 12, 13, 94 रकबा क्रमशः 0.06, 4.54, 0.88 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 5.48 हैक्टर में बेगाराम पुत्र जीताराम के स्थान पर भागसिह पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी पूनियां की ढाणी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 06.08.2021 को जारी की गई।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:35:32 IST
Reason: SelfAttested